

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-362/2018

1. सुनील कुमार पुत्र जयगोपाल पुत्र बाबूराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 15, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम्

1. चिरंजीलाल } पि0 बाबूराम
2. सन्तराम } जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 15 संगरिया
3. अशोक कुमार पुत्र जयगोपाल पुत्र बाबूराम } तहसील संगरिया ।
4. विमलादेवी पत्नी जयगोपाल
5. उषारानी पुत्री जयगोपाल पत्नी प्रेमचन्द जिन्दल निवासी वार्ड नं0 14 पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. श्योवन्ती देवी पुत्री बाबूराम पत्नी जगदीश राय निवासी रामामण्डी ।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी व प्रतिवादी सं0 3 व 5 के पिता प्रतिवादी सं0 4 के पति जयगोपाल व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से चक नं0 9 एम.के.एस के खाता सं0 23/26 में कुल 6.679 है0 में 2.226 है. व चक नं. 9 एमकेएस के खाता संख्या 24/27 में कुल .759 है. में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/3 बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 1 चिरंजीलाल 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 सन्तराम को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 9 एम.के.एस के खाता सं0 23/26 व खाता सं0 24/27 में से जयगोपाल व प्रतिवादीया सं0 6 श्योवन्ती का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुक्लिक.....निल.....वाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तकअदा करें।

बसवा मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी